



**OFFICE OF THE  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
CENTRAL REVENUE BUILDING  
AJMER**

No. CIT/AJM/ITO(Hqrs.)/10-11/1969

Dated:- 08.11.2010

To,  
The Chairman,  
Rajasthan Samagra Kalyan Sansthan,  
5C, Near Tempo Stand, Chandravadai Nagar,  
Ajmer.

Sir,

**Sub:- Application for renewal of exemption u/s 80G of the I.T.  
Act, 1961 - Regarding-**


\*\*\*\*\*

Please refer to your application dated 19.08.2010 filed in this office on 30.08.2010 for renewal of exemption u/s 80G (5) (vi) of I.T. Act, 1961.

In this connection, it is to inform you that your Trust has already been granted exemption u/s 80G upto 31.03.2010 vide order No. 15/56/2100 dated 24.12.2008. As per the amendment made in the section 80G(5)(vi) w.e.f. 01.10.2009 by the Finance Act, 2009 the approval granted is not for any specific period and, therefore, in your case further renewal of exemption u/s 80G does not require.



Yours faithfully,

  
( O.P. JAIN )

Commissioner of Income-tax  
Ajmer

दिनांक: 24.12.2008

आदेशविषय:- आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अधीन छूट -

राजस्थान समग्र कल्याण संस्थान, 496/34, पाल बीचला, अजमेर ने जो दिनांक 02.12.1992 के न्यास विलेख/मेमेरेन्डम ऑफ ऐसोसिएशन द्वारा गठित हैं, दिनांक 28.04.2008 को निर्धारित प्रपत्र में आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अर्न्तगत छूट का आवेदन किया है। न्यास/संस्था को आयकर आयुक्त, अजमेर द्वारा धारा 12ए के अर्न्तगत न्यास/संस्था के रजिस्टर क्रमांक 15/56 पर दर्ज कर पंजीकृत किया गया है। न्यास/संस्था को निम्नलिखित शर्तों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के अर्न्तगत छूट अवधि दिनांक 28.04.2008 से 31.03.2010 तक प्रदान की जाती है।

1. दानदाताओं को दी जाने वाली रसीद पर इस आदेश की संख्या एवं दिनांक अंकित किया जावे रसीद पर रसीद संख्या छपाई जाये और यह स्पष्ट रूप से छपाया जाये कि यह प्रमाण पत्र किस दिनांक तक मान्य है।
2. आय एवं व्यय के लेखा विवरण चिट्ठा इस मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले निर्धारण अधिकारी को प्रति वर्ष प्रस्तुत करे।
3. यदि संस्था के संविधान/गठन में कोई संशोधन किया जाता है कि उसकी जानकारी इस कार्यालय को तत्काल दी जाये।
4. न्यास को दिये गये दान की राशि के लिये दानदाता आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के प्रावधानों/शर्तों/सीमाओं के अनुसार छूट प्राप्त करने के ही हकदार होंगे।

54 -  
(प्रभु दयाल मीणा)

आयकर आयुक्त, अजमेर

नोट:- इस प्रमाण-पत्र के आधार पर न्यास को अपने करनिर्धारण के समय छूट प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। निर्धारण अधिकारी यह जांच पडताल करें ताकि निर्धारिती (न्यास) आयकर अधिनियम की धारा 2(15) के प्रावधानों के अनुसार धर्मार्थ (चेरीटेबल) है या नहीं और धारा 11, 12, 12ए ( ) और 13 में उल्लेखित शर्तें पूरी करता है या नहीं।

प्रतिलिपि-

1. अध्यक्ष/न्यासी/ राजस्थान समग्र कल्याण संस्थान, 496/34, पाल बीचला, अजमेर।
2. आयकर अधिकारी, वार्ड-1(1), अजमेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(दिनेश कजोत)

आयकर अधिकारी (मुख्यालय),  
कृते आयकर आयुक्त, अजमेर